# न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी – विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
सहायक कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नम्बर – 2024/59

दर्ज दिनांक – 09.05.2024

1. सुखजी रैगर पुत्र गणेश रैगर, उम्र 73 वर्ष जाति रैगर, निवासी ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।

– (प्रार्थीगण)

*बनाम्*

1. रामप्रकाश पुत्र लडडूराम लालसोट
2. घासी पुत्र भागल्या
3. हरि पुत्र मोहन
4. गिरार्ज पुत्र बसन्या
5. नानगा पुत्र गोपी

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान,

– (अप्रार्थीगण)

**प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :– 1 श्री चन्द्रभान सिंह ( वकील प्रार्थीगण )

2 श्री ओमप्रकाश सैनी (वकील अप्रार्थीगण )

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.12.23 16:24:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 27/11/24

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खटवा तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 651/282 रकबा 1.4036 हैक्ट. भूमि को वादग्रस्त करार देते हुए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र पेश किया है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात खातेदार काबिज काश्तकार है जिस पर लगभग 50 वर्षो से काबिज हाकर काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा है। वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार वास्ता नहीं है फिर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण कर रास्ता निकालने पर आमदा है जिसका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुच वाली बलशाली लोग है जो प्रार्थी जो कि गरीब लोग है, को धमकाते है। वादी की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण को कोई हस्तक्षेप करने व किसी भी प्रकार का निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थीगण द्वारा वादी की भूमि पर जबरन निर्माण किया ता इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में प्रार्थीगण ने अभिवचन किये है कि दिनांक 02.05.2024 को अप्रार्थीगण एकराय होकर एक ट्रेक्टर में पत्थर लेकर आये तथा प्रार्थी के खते में डाल दिये प्रार्थी ने मना किया तो हमलावर हुये व कहा कि हम तो यहाँ पुख्ता निर्माण करेगे तथा एक सार्वजनिक रास्ता अपनी भूमियों में जाने के लिये बनायेगे। तुम्हे जो करना है सो कर लो। इसी बिनाय अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने सुविधा का संतुलन भी अपने हक में बताया है। इस प्रकार अभिचवन करते हुए प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 651/282 रकबा 1.4036 हैक्ट. वाकै ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करने, सार्वजनिक रास्ता नहीं बनाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश उपस्थित आये। वकील अप्रार्थी से जवाब तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन कर विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी होना स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया है कि प्रार्थी की सहमति से बन्धा वाली ढाणी ग्राम खटवा में आवागमन हेतु 15 फिट चौडा रास्ता ग्राम पंचायत को समर्पण कर ग्राम पंचायत खटवा द्वारा कई वर्षो पूर्व सी.सी. रोड का निर्माण कार्य किया गया है। उक्त रास्ता आज दिन आवागमन हेतु सुचारू है आमजन इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। यह रास्ता वर्षो पुराना है जिसमें होकर ही आमजन आते जाते रहे है। प्रार्थी अब मनगढन्त कथनों के आधार पर चालू रास्ते को बन्द करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत खटवा व अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य है वे भी आने जाने हेतु इसी रास्ते का उपयोग करते रहे है प्रार्थी ने गलत मंशा से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि रास्ता पूर्व से ही बना हुआ था जिस पर सी.सी. रोड बना भी बना हुआ था। अब सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य किया जा रहा है जिस हेतु जिला परिषद दौसा द्वारा वित्तिय स्वीकृति दिनांक 15.03.2024 को जारी की गई है। उक्त निर्माण कार्य को रूकवाने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता है जो काफी वर्षो पुराना है पर निर्माण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति कारित होना संभव

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.12.23 16:24:35 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है क्योंकि रास्ता पहले से ही बना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण का जवाब पत्रावाली में शामिल किया जाकर नकल अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई गई। तदुपरांत पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावाली पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन निर्माण कार्य कर रहे है। जबकि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी रिकॉर्डड खातेदार एवम लॉ–फुल ऑनर है। एक खातेदार की खातेदारी में इस प्रकार जबरन अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ना ही रास्ता निकाला जा सकता है। प्रार्थी अप्रार्थियो को पाबंद करवाने को काननून अधिकृत है। जिस प्रकार प्रार्थी को धमकाते हुए अवैध तरीके से प्रार्थी की खातेदारी में होकर रास्ता का निर्माण किया जा रहा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं व गैर कानूनन है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी द्वारा पंचायत समिति लालसोट की जॉच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पेश करते हुए भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ग्राम पंचायत सरपंच के उक्त रास्ता निर्माण के विरूद्ध एक शिकायत/जॉच चल रही है जिसमें उक्त रास्ते की स्वीकृति अवैध बताई है। तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर निर्माण नहीं करने बाबत तत्कालीन एसडीएम एवम अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना हेतु मौके पर जाकर पाबंद भी करवाया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः अप्रार्थियों को पाबन्द किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश सैनी ने अपनी जवाबी बहस में अधिवक्ता प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए तर्क पेश किय कि अप्रार्थियों द्वारा अलग से कोई रास्ता निर्माण नही किया जा रहा बल्कि पूर्व से ही चालू रास्ते की सुरक्षा दिवार का कार्य किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति जिला परिषद से हो चुकी है। रास्ता पूर्व से ही बना हुआ है जो आमजन के आने जाने के उपयोग में आ रहा है तथा वर्तमान में रास्ता चालू है। वकील अप्रार्थी ने यह भी कथन किये है कि सुखाधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई रास्ता खातेदारी में भी है तो उसे बन्द नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में जिस रास्ते को लेकर विवाद उठाया गया है असल में वह कदमी रास्ता है जो आमजन के उपयोग में आ रहा है जिस पर पूर्व से सी.सी. सडक बनी हुई है। प्रार्थी अब बदनियती से चालू रास्ते को बंद [illegible] है। यदि चालू रास्ते को बंद किया जाता है तो आमजन को भारी असुविधा होगी। चूंकि रास्ता [illegible] पूर्व से ही बना हुआ है तथा वर्तमान में भी चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूर[illegible] क्षति कारित होने की भी कोई सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार कर खा[illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.12.23 16:24:35 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादपत्र के सन्दर्भ में विधि का भी अध्ययन किया गया। प्रकरण पर निर्णय से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन आधार बिन्दुओं का विनिश्चय किया

सहायक कलक्टर
जिला–दौसा (राज.)

जाना है। प्रथम दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण से वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण सिद्ध है। राईट ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार सिद्ध नहीं है। ना ही रास्ते के नाम भूमि दर्ज होना पाया गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण प्राईमा फैसाई प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अपूरणीय क्षति :– वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि साबित है इस प्रकार प्रार्थी की खातेदार की भूमि में यदि किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रार्थी को क्षति होना सम्भाव्य है। सुविधा का संतुलन :– इस बिन्दू पर निर्णय से पूर्व मौके पर रास्ते के बिन्दू पर भी गौर किया जाना आवश्यक है इस बिन्दू पर विनिश्चि किया जाने उपरांत ही सुविधा का संतुलन तय किया जाना उचित होगा। चूंकि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर निर्माण नही करने व रास्ता न निकालने बाबत अपने प्रार्थना पत्र में कथन किये है जबकि वकील प्रार्थी द्वारा पेश पंचायत समिति की जॉच रिपोर्ट में इस आशय का अंकन है कि रास्ते की सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है तथा सुरक्षा दिवार खातेदारी में है या नही यह सीमाज्ञान उपरांत ही तय किया जावेगा। इसी प्रकार राजस्व अधिकारियों की मौका रिपोर्ट में भी इसी आशय का अंकन है ऐसी स्थिति में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मौके पर रास्ता विधमान है। सुखाचार अधिनियम के तहत चालू रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है। एवम रास्ते को रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज किये जाने के एलआर एक्ट एवम काश्तकारी अधिनियम में प्रोविजन है। इस स्थिति में यदि चालू रास्ते को बद किया जाता है तो आमजन को असुविधा होगी। इस स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। न्यायालय का मत है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जबरन निर्माण कार्य किया जाना न्यायसंगत नहीं है एवम ना ही चालू रास्ते को बंद किया जाना उचित है।

## आदेश

**उक्त विवेचन एवम् तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 651/282 रकबा 1.4036 में किसी भी प्रकार का कोई नया निर्माण कार्य नहीं करे साथ ही प्रार्थी मौके पर चालू रास्ते में कोई व्यवधान न करे ना ही रा[illegible] बंद करे। इस आशय की निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद प्रतिबंधित रहे। [illegible] जाकर खुले ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] को।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.12.23 16:24:35 IST
Reason: SelfAttested

विजेन्द्र कुमार मीणा (आरएएस)
सहायक कलक्टर लालसोट